<u>विज्ञान भवन, नई दिल्ली में शहरी अभिशासन में नवाचार पर सम्मेलन</u>

अगस्त 26-27, 2013

सत्र II: नगरीय वित्त

वर्ष 1993 के संविधान संशोधन (74वें सीएए) का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को पूर्ण प्राधिकार प्रदान करना था ताकि वे अपने स्वयं के कार्यों, वित्त और पदाधिकारियों का देखभाल कर सकें। दुर्भाग्य से, इस संशोधन के पश्चात बीस वर्षों के बीत जाने के उपरान्त भी यह प्रक्रिया वृहद तौर पर अपूर्ण है, खासकर शहरी वित्त के मामले में; शहरी स्थानीय निकायों के पास उनके वित्त के संबंध में बहुत ही कम निर्णय लेने की शक्ति है और अभी भी वे भारी तौर पर पर केन्द्र तथा राज्य द्वारा वित्त पोषण पर निर्भर हैं। सभी सार्वजनिक-स्रोतों से प्राप्त किए गए शहरी स्थानीय निकायों का कुल राजस्व हिस्सा बहुत ही कम है, जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों का हिस्सा भी शामिल है। इसी प्रकार नगरपालिकाओं के खर्चे भी बहुत कम हैं। यह, उदाहरण के लिए, एक अन्य प्रगतिशील देश ब्राजील में शहरों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के ठीक प्रतिकूल है, जहां अधोसंरचना में सभी सार्वजनिक निवेशों का 45 प्रतिशत हिस्सा इसमें शामिल है।

यह निराशाजनक परिदृश्य नीतिनिर्माताओं से एक गंभीर सवाल पूछने हेतु प्रेरित करता हैः

कैसे शहरी स्थानीय निकाय शहरी सेवाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने के साथ साथ मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए आवश्यक पूंजी निवेश हेतु जरूरी वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए शक्तियों के साथ व्यवहार्य संस्थाए बन सकती है?

सख्त दिशानिर्देश और नीति निर्दिष्ट करने, अथवा स्थानीय राजस्व बढ़ोतरी के प्रयासों को रणनीति का हिस्सा बनाया जा सकता है जिससे कि इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। फिर भी सबसे महत्वपूर्ण चुनौति नगरपालिकाओं की वित्तीय क्षमताओं पर सकारात्मक प्रभाव डालना है, बजाए इसके कि गैर-महत्वपूर्ण छोटे परिवर्तन किए जाएं। वित्त पोषण के फार्मूले का समायोजन, अथवा लेखा प्रणाली में सुधार को लागू किया जा सकता है, उदाहरण के लिए,

जिससे तुलनात्मक तौर पर सीमांत प्रभाव की संभावना हो सकती है जब तक कि वृहद प्रणाली अधिक पारदर्शी, अनुमान योग्य, सुव्यवस्थित और समयोचित नहीं बन जाती। साथ ही साथ वित्तीय कार्यप्रदर्शन के लिए संस्थागत जवाबदेही को और अधिक मजबूत बनना चाहिए। राज्य अथवा केन्द्र की स्थानीय वित्त की नीतियां की कोई भी मात्रा इस राजकोषीय अंतराल को कम नहीं कर सकती है, जब तक कि शहरी स्थानीय निकायों का उसके नागरिकों के साथ संबंध अधिक मजबूत नहीं बनता है, और केन्द्र तथा राज्य भत्तो पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। **इसकी प्राप्ति के लिए, शहरी वित्त की पांच समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता हैः**

- शहरी स्थानीय निकाय प्रर्याप्त तौर पर सशक्त नहीं हैं और उनसे अपेक्षित सेवाओं के लिए न ही उनके पास पूरी जिम्मेदारी है और न राजकोषीय शक्तियां ही;
- शहरी स्थानीय निकायों की राजस्व क्षमता और उनके आवश्यक खर्चों के मध्य काफी असंतुलन हैः वे स्वयं के राजस्व को बढ़ाने के लिए स्वयं के स्रोत की कमी में हैं क्योंकि उनके कर आधार और आंकड़े कमजोर है, और वे उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु प्रभारों की वसूली करने में असमर्थ हैं;
- शहरी स्थानीय निकाय स्टैंड-अलोन आधार पर उधार-प्राप्ति के योग्य नहीं है और विश्वसनीय वित्तपोषित परियोजना की उनके पास कमी है जिन्हें कि घरेलू पूंजी बाजार में वित्त पोषित किया जा सके;
- इन्ही संरचनागत विफलताओं के कारण, शहरी स्थानीय निकाय उच्च तौर पर एक अंतरसरकारी हस्तांतरण की जटिल और खराब लक्षित प्रणाली पर अत्यधिक निर्भर है, और सरकारी वित्तीय संस्थानों से उधार ले रहे हैं। इसमें शहरी स्थानीय निकायों पर बहुत ही कम वित्तीय अनुशासन अथवा सेवा गुणवत्ता मानक लागू होते हैं, और इस प्रकार उधार-पात्रता की कमी को पुनः ठीक करने में असक्षम हैं, और
- शहरी स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और अभ्यासों का अभाव है, जिसके परिणाम स्वरूप वे अच्छे वित्तीय अथवा आर्थिक आधार पर नियोजन तैयार नहीं कर सकते, परिसंपत्तियों अथवा देयताओं को प्रबंधित नहीं कर सकते अथवा निधियों को खर्च करने के तरीके के लिए जवाबदेह नहीं बन सकते हैं।

सत्र का आयोजन एवं अपने सहप्रतिभागियों को परिचित करना

अध्यक्षताः सुश्री सुषमा नाथ, सदस्य, 14वाँ वित्त आयोग

1. श्री चेरियन थॉमस, सीईओ, आईडीएफसी
   - भारत में शहरी स्थानीय निकायों की समग्र वित्तीय स्थिति पर प्रस्तुतिकरण, कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और कौन से महत्वपूर्ण कदम तथा अगले प्रयास क्या हो सकते हैं जिन्हें केन्द्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं जिससे कि शहरी स्थानीय निकायों को भारत में वित्तीय तौर पर वृहद रूप में मजबूत किया जा सके।
2. श्री गौरव गुप्ता, क्षेत्रीय आयुक्त, बैंगलोर
   - जल और/अथवा अन्य मूल शहरी सेवाओं के प्रावधान पर राजकोषीय प्रबंधन पर प्रस्तुतिकरण और क्यों इसके प्रभार महत्वपूर्ण है, भारतीय परिदृश्य में आगे क्या बाधाएं हैं।
3. श्री नटवर गांधी, सीएफओ, वाशिंगटन डीसी
   - वाशिंगटन, डीसी के अनुभवों पर प्रस्तुतिकरण और भारत के लिए सीखने हेतु महत्वपूर्ण बातें।

प्रत्येक सत्र 1.5 घंटे का होगा - प्रत्येक प्रस्तुतिकरण लगभग 10 मिनट का होगा। शेष एक घंटे की अवधि प्रतिभागियों के साथ आपसी परिचर्चा के लिए और मंच के निर्धारण तथा अध्यक्ष द्वारा सार-संक्षेपण (10 मिनट) के लिए होगी।